

पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता

4-1-20

पीठासीन अधिकारी की निधि में भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 4-4-20...को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता

4-4-20

कोरोना) लॉड्डाऊ

पीठासीन अधिकारी की निधि में भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 26-5-20...को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता

26-5-20

कोरोना) लॉड्डाऊ

पीठासीन अधिकारी की निधि में भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 26-6-20...को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता

26-06-20

कोरोना) लॉड्डाऊ

पीठासीन अधिकारी की निधि में भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक 29-07-20...को प्रस्तुत करें।

29-7-20

पजावली पंच डई। घाण्पज ले लेबंथिल मूल वाद सं. 84/2018 जर्मि विज्ञोल जारीज क्रिया पा पुठा है। जितमे घाण्पज हाजा के कागे-चकमे का जेहि जौचाल्य प्रतीत नही देता है। जल। घाण्पज मूल वाद डे जारीज होपाने पर पोवर्गीष नही हेने ले जारीज क्रिया जाता है। पजावली नम्बर सं 85 घाण्पज मूल वाद डे हाथ नल्की है।

उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर